MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.
COMFED
मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
DUSS
इकाईः— दरभंगा डेयरी,दरभंगा

पत्रांक :दर:डे0:संग्र0: 349

दिनांक : 16.06.2025

परिवहन निविदा सूचना
(अवधि विस्तारित करने के सम्बन्ध मे)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर अन्तर्गत दरभंगा क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध पथों मे स्थित दुग्ध समितियों से डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर तक कच्चे दूध का परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के गाड़ियो यथा पिकअप या समतुल्य एवं टाटा 407 वाहन भाड़े पर देने वाले इच्छुक संवेदक (गाड़ी मालिक) से दरभंगा डेयरी पत्रांक 314 दिनांक 31.05.2025 से संदर्भित निविदा सूचना संख्या 1/2025 के आलोक मे मुहर वंद लिफाफे मे दिनांक 16.06.2025 को 5.30 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित किया गया था, **परन्तु अपेक्षाकृत कम निविदा प्रपत्र प्राप्त हुआ। अतः निदेशानुसार निविदा सूचना संख्या 1/2025 मे निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 23.06.2025, 5:30 बजे अपराहन् तक के लिए विस्तारित किया जाता है।**

एकरारनामा से सम्बन्धित शर्ते पथ की विवरणी इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक 21.06.2025 तक कार्यालय दिवस से 1000/— रुपयें मे नगद जमा कर दरभंगा डेयरी के रोकड़ काउण्टर से प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र संघ के वेवसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिसको डाउनलोड कर तथा भर कर जमा करने के समय 1000 रुपये का डिमाण्ड ड्रफ्ट संलग्न करना होगा। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी एवं एकरारनामा प्रति वेवसाइट www.mithiladairy.com से डाउनलोड कर सकते है।

दिनांक 24.06.2025 को 11:30 बजे से प्रभारी संग्रहण दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष मे टेक्निकल बीड खोली जाएगी। जिसमे इच्छुक निविददाता/प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

टेक्निकल बीड मे सफल निविदादाता का निविदा दिनांक 25.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न मे वित्तीय बीड उपरोक्त कार्यालय मे खोली जायेगी। जिसमे निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

सभी निविदाओ को विना कारण बताये रद्द करने/निविदा की तिथि घटाने या बढाने का अधिकार प्रबंध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर को सुरक्षित होगा।

16/06/2025
प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

अनु0 : निविदा प्रपत्र (कुल पृष्ठ—20)

प्रति0 : नोटिस वोर्ड
समस्तीपुर डेयरी/दरभंगा डेयरी/रोसड़ा/मधुवनी दुग्ध शीतक केन्द्र।
: प्रवन्ध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर
: सहायक महाप्रवंधक (प्रापण एवं प्लांट)
: जूनियर प्रोग्रामर मदुस—कृपया वेवसाइट पर अपलोड करना चाहेगें।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

पत्रांक :दर:डे0:संग्र0: 314 दिनांक : 31.05.2025

परिवहन निविदा सूचना

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर अन्तर्गत दरभंगा क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध पथों मे स्थित दुग्ध समितियों से डेयरी/शीतक केन्द्र/वल्क मिल्क कूलर तक कच्चे दूध का परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के गाडियो यथा पिकअप या समतुल्य एवं टाटा 407 वाहन भाड़े पर देने वाले इच्छुक संवेदक (गाड़ी मालिक) से मुहर बंद लिफाफे मे दिनांक 16.06.2025 को 5.30 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

एकरारनामा से सम्बन्धित शर्ते पथ की विवरणी इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक 01.06.2025 से 14.06.2025 के बीच कार्यालय दिवस से 1000/– रुपयें मे नगद जमा कर दरभंगा डेयरी के रोकड़ काउण्टर से प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र संघ के वेवसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिसको डाउनलोड कर तथा भर कर जमा करने के समय 1000 रुपये का डिमाण्ड ड्रफ्ट संलग्न करना होगा। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी एवं एकरारनामा प्रति वेवसाइट www.mithiladairy.com से डाउनलोड कर सकते है।

दिनांक 10.06.2025 को प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष मे प्री–वीड मीटिंग मे निविदादाता भाग लेंगे एवं निविदा सम्वन्धी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे से प्रभारी संग्रहण दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष मे टेक्निकल बीड खोली जाएगी। जिसमे इच्छुक निविददाता/प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

टेक्निकल बीड मे सफल निविदादाता का निविदा दिनांक 18.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न मे वित्तीय बीड उपरोक्त कार्यालय मे खोली जायेगी। जिसमे निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

सभी निविदाओ को बिना कारण बताये रदद करने/निविदा की तिथि घटाने या बढाने का अधिकार प्रबंध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर को सुरक्षित होगा।

31/05/2025

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

अनु0 : निविदा प्रपत्र (कुल पृष्ठ–20)

प्रति0 : नोटिस बोर्ड
समस्तीपुर डेयरी/दरभंगा डेयरी/रोसड़ा/मधुवनी दुग्ध शीतक केन्द्र।
: प्रबन्ध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर
: सहायक महाप्रबंधक (प्रापण एवं प्लांट)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

निविदा सूचना संख्या 01/2025

दुग्ध संग्रहण परिवहन निविदा–सारांश

1.	निविदाकर्ता का पता	: प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा डेयरी, दरभंगा चुनाभट्ठी, पो0–लक्ष्मीसागर, दरभंगा, बिहार–846009
2.	निविदा सूचना तिथि	: 31.05.2025
3.	पीबीड मीटीग	: 10.06.2025
4.	निविदा प्रपत्र क्रय की तिथि	: 01.06.2025 से 14.06.2025 के शाम 3 बजे तक
5.	निविदा प्रपत्र मुल्य	: रु0 1000.00 (रु0 एक हजार मात्र) वापसी योग्य नही
6.	निविदा प्रपत्र की प्राप्ति	: दरभंगा डेयरी के रोकड़ शाखा से किसी भी कार्य दिवस मे 11.00 पूर्वा0 से 3.00 अपराह्न तक शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है।
7.	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: दिनांक 16.06.2025 को शाम 5:00 बजे तक दरभंगा डेयरी, दरभंगा के संग्रहण भाखा मे कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/निविदादाता स्वयं भी जमा कर सकता है, तथा समय पर आवेदन प्राप्त नही होने पर स्वीकार नही किया जायेगा।
8.	टेक्निकल बीड खोलने की तिथि	: दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वा0 प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष मे क्रय कमिटि एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।
9.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	: तकनीकी निविदा मे सफल निविदा का वित्तीय बीड दिनांक 18.06.202 को 11:30 बजे पूर्वाह्न प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष मे क्रय कमिटि एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।

10. अग्रधन / जमानत राशि : प्रत्येक पथ के तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन की राशि 5000/– (पाँच हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेगें। सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रुप मे समायोजित कर ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता शर्त के अनुसार कार्य करने मे असमर्थ होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं अग्रधन राशि तकनिकी निविदा के साथ संलग्न नही रहने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी।

निविदा प्रपत्र मे निविदा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निविदा शर्ते की विवरणी पथ के अनुसार गाड़ियो का प्रकार तथा टेक्निकल बीड एवं वित्तीय बीड के प्रपत्र संलग्न रहेगें।

प्रबंध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा
30.05.2025

अनु0 : दुग्ध परिवहन निविदा भरने संबंधित सामान्य शर्ते (पृष्ठ सं0 4)
: कार्य अनुबंध की सामान्य शर्ते एवं दिशानिर्देश (पृष्ठ सं0 5–7)
: तकनिकी बिड प्रारुप (पृष्ठ सं0 8–10)
: वित्तीय बिड प्रारुप अनुलग्नक सहित (पृष्ठ सं0 11–12)
चेक लिस्ट (पृष्ठ सं0 13)
: एकरारनामा की शर्ते (पृष्ठ सं0 14–19)
: बन्ध पत्र (पृष्ठ सं0 20)
:

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

दुग्ध परिवहन निविदा भरने से संबंधित सामान्य शर्ते

1. प्रत्येक पथ के लिए निविदा अलग–अलग भरे तथा डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक पथ के लिए 1000.00 (एक हजार) रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं दरभंगा डेयरी से नगद क्रय किये निविदा प्रपत्र के साथ मनी रसीद संलग्न करे, डिमाण्ड ड्राफ्ट मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम से समस्तीपुर मे भुगतेय होगा। बिना ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद संलग्न तकनिकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र मे परिवहन दर प्रति किलोमीटर के आधार पर अंकित किया जाए। परिवहन दर मे लागू टोल टैक्स सम्मिलित होगा। अर्थात संघ द्वारा टॉल टैक्स का भुगतान अलग से नही किया जायेगा।
3. संबंधित अनुलग्नक सहित निविदा एवं वितिय निविदा भरकर अलग–अलग लिफाफे मे रखे एवं बंद कर दोनो लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता डेयरी कार्यालय का पता पथ संख्या जिसके लिए निविदा दी गई है एवं निविदा सूचना संख्या लिखें। तकनिकी निविदा के उपर तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के उपर वित्तीय अलग–अलग भरें। तकनिकी एवं वित्तीय निविदा लिफाफे को एक बड़े लिफाफे मे रखं एवं बंद करे। बड़े लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता/संघ कार्यालय का पता पथ सं0/पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी गयी है निविदा सं0 एवं निविदा जमा करने का अन्तिम तिथि अर्थात 16.06.2025 लिखे। इस बड़े लिफाफे को डेयरी कार्यालय मे अंतिम तिथि से पूर्व जमा करे।
4. भरे हुए निविदा के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, रोड परमिट, फिटनेश एवं टैक्स टोकन तथा बीमा संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करे (निविदादाता के नाम से गाड़ी होना अनिवार्य है)
5. भरे निविदा कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं स्वयं हाथों संघ मुख्यालय के कार्यालय मे दिनांक 16.06.2025 को 5:30 बजे अप0 तक जमा करे। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नही होगा।
6. निविदा दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वा0 दिन मे दरभंगा डेयरी के प्रभारी संग्रहण के कक्ष मे खोली जायेगी जिसमे निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
7. अलग–अलग पथो के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्रधन राशि 5000.00 (पॉच हजार) रु0 का ड्राफ्ट जमा किया जायेगा परंतु एक गाड़ी नंबर का सिर्फ एक ही पथ मे निविदा भरा जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथो के लिए निविदा प्राप्त होता है वैसी स्थिति मे सभी निविदा रद्द कर दी जायेगी अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

31/05/2025

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

दुग्ध परिवहन निविदा भरने से संबंधित सामान्य शर्ते

1. प्रत्येक पथ के लिए निविदा अलग–अलग भरे तथा डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक पथ के लिए 1000.00 (एक हजार) रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं दरभंगा डेयरी से नगद क्रय किये निविदा प्रपत्र के साथ मनी रसीद संलग्न करे, डिमाण्ड ड्राफ्ट **मिथिला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लि0 के नाम से समस्तीपुर मे भुगतेय होगा।** बिना ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद संलग्न तकनिकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र मे परिवहन दर प्रति किलोमीटर के आधार पर अंकित किया जाए। परिवहन दर मे लागू टोल टैक्स सम्मिलित होगा। अर्थात संघ द्वारा टॉल टैक्स का भुगतान अलग से नही किया जायेगा।
3. संबंधित अनुलग्नक सहित निविदा एवं वितिय निविदा भरकर अलग–अलग लिफाफे मे रखे एवं बंद कर दोनो लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता डेयरी कार्यालय का पता पथ संख्या जिसके लिए निविदा दी गई है एवं निविदा सूचना संख्या लिखें। तकनिकी निविदा के उपर तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के उपर वित्तीय अलग–अलग भरें। तकनिकी एवं वित्तीय निविदा लिफाफे को एक बड़े लिफाफे मे रखं एवं बंद करे। बड़े लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता/संघ कार्यालय का पता पथ सं0/पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी गयी है निविदा सं0 एवं निविदा जमा करने का अन्तिम तिथि अर्थात 16.06.2025 लिखे। इस बड़े लिफाफे को डेयरी कार्यालय मे अंतिम तिथि से पूर्व जमा करे।
4. भरे हुए निविदा के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, रोड परमिट, फिटनेश एवं टैक्स टोकन तथा बीमा संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करे (निविदादाता के नाम से गाड़ी होना अनिवार्य है)
5. भरे निविदा कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं स्वयं हाथों संघ मुख्यालय के कार्यालय मे दिनांक 16.06.2025 को 5:30 बजे अप0 तक जमा करे। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नही होगा।
6. निविदा दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वा0 दिन मे दरभंगा डेयरी के प्रभारी संग्रहण के कक्ष मे खोली जायेगी जिसमे निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
7. अलग–अलग पथो के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्रधन राशि 5000.00 (पॉच हजार) रु0 का ड्राफ्ट जमा किया जायेगा परंतु एक गाड़ी नंबर का सिर्फ एक ही पथ मे निविदा भरा जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथो के लिए निविदा प्राप्त होता है वैसी स्थिति मे सभी निविदा रद्द कर दी जायेगी अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्ते एवं दिशा निर्देश

दुग्ध संग्रहण परिवहन एक अति आवश्यक एवं नियमित सेवा है। इस कार्य के ठेका सामान्य शर्तो एवं दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैः–

1 निविदा प्रस्तुत दर स्वीकृत्यादेश की तिथि से सामान्यत दो वर्ष के लिये लागू रहेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमती से अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा।

2 प्रतिदिन दोनो पाली मे निविदित पथ के लिये मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुरुप दुग्ध समितियों मे संग्रहित दूध का परिवहन कर समस्तीपुर डेयरी/ दुग्ध शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर तक पहुचाना होगा।

3 दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरुप भंडार शाखा से सुधादाना एसिड अल्कोहल आदि सामग्री (समितियो मे प्रयोग हेतु) प्राप्त कर समितियो का पहुँचाना होगा।

4 दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर निर्गत समय–सारणी से विलम्ब से दूध पहूचाने के कारण समितियो से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियो को हुए पूर्ण क्षति की कटौती परिवहन विपत्र से की जायेगी।

5. कार्यादेश मे अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेगें। गाड़ी के खराब होने की स्थिति मे उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा परन्तु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमे नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेदारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नही हो।

6 दुग्ध पथ का विस्तार संकुचन अथवा दुग्ध संग्रहण बंद करना (परिस्थिति के अनुसार) दुग्ध संघ प्रबंधन का अधिकार होगा एवं समय–समय पर निर्गत आदेश आपको मान्य होगा।

7 गाड़ी चालक के अतिरिक्त एक दक्ष खलासी का रहना अनिवार्य है ताकि केन लोडिग अन लोडिंग कार्य सुचारु रुप से हो सके।

8 वास्तविक परिचालित दूरी के आधार पर संग्रहण शाखा द्वारा परिवहन विपत्र भुगतान की अनुशंसा की जाती है इसके लिए संबंधित पदाधिकारी से परिचालित दूरी सत्यापित कराना आवश्यक होगा। गाड़ी का किलोमीटर दर्शाने वाला मीटर सही स्थिती मे रखना आवश्यक होगा।

9 अन्य शर्ते परिहवन एकरारनामा मे निर्धारित शर्तो के अनुरुप होगा।

10 ठेका प्राप्ति के 15 दिनो के अन्दर एकरारनामा कार्यालय मे जमा करना आवश्यक है अन्यथा विपत्र भुगतान बाधित हो सकता है जिसकी जवावदेही आपकी होगी।

11 डेयरी को उपलब्ध कराये जा रहे परिवहन गाड़ी के सभी कागजात एवं चालक का ड्राइविगं लाइसेंस अद्यतन रहना अनिवार्य होगा।

12 निविदा प्रपत्र 2 भाग मे है–(क) टेकिनकल बीड (ख) वित्तीय बीड

(क) टेक्निकल बीड मे उल्लेखित सभी कागजातो की छायाप्रति तथा निविदा प्रपत्र का शुल्क एवं अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/रसीद संलग्न कर लिफाफा मे बंद कर सील करे तथा लिफाफा पर टेक्निकल बीड एवं अंतिम तिथि 16.06.2025 एवं निविदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।

(ख) वित्तीय बीड मे परिहवन दर एवं ब्यौरा भर कर अलग से लिफाफा मे भर कर बन्द करना होगा तथा लिफाफा पर वितीय बीड एवं निविदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।

(गा) दोनों लिफाफा को अन्य तीसरे बड़े लिफाफा मे डालकर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। लिफाफा पर संग्रहण परिवहन ठेका एवं अंतिम तिथि 16.06.2025 तथा निविदित पथ का नाम एवं संख्या तथा निविदादाता का नाम एवं पुरा पता लिखना अनिवार्य है

(घ) सर्वप्रथम टेक्निकल बीड खोला जायेगा तथा उसमे सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड कमिटि एवं निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।

13 निविदादाता से अलग–अलग पथ के लिए अलग–अलग दर निविदा स्वीकार्य होगा।

14 निविदादाता एवं अन्य पार्टियो से आवश्यक समझे जाने पर निगोसियेशन द्वारा दर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा। सभी निविदाओं को अस्वीकार करने एवं किसी निविदा को आंशिक या पूर्ण अस्वीकृत करने निविदादाताओ मे आवश्यकतानुसार कार्य का बंटवारा करनें का अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा।

15 सफल निविदादाताओं को मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतू स्थानीय कोर्ट से 1000/–रुपया मात्र के ननजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के अनुसार कार्य संपादन नही करने पर सिक्युरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी एवं तत्कल ठेका रद्द कर दिया जायेगा। एकरारनामा मे कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होगा तथा दो जमानतदार से जमानत देनी होगी।

16 परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन कार्य बंद करने के लिए कम से कम एक महीने की अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है।

17 परिवहन संवेदक पाक्षिक विपत्र भुगतानार्थ प्रस्तुत कर सकते है। विपत्र प्राप्ति के 15 वे दिन तक बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा क्षति आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

18 तकनीकी बीड के साथ अग्रधन की राशि प्रत्येक पथ के निविदा के लिये 5000/– रुपये मात्र अलग–अलग पथ के लिए होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो **मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के पक्ष मे समस्तीपुर मे** भुगतेय होगा संलग्न करेगें। सफल निविदादाताओं के अग्रधन की राशि के रुप मे समायोजन किया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नही होगा। अग्रधन राशि का ड्राफ्ट संलग्न नही होने की स्थिति मे निविदा पर विचार नही किया जांयेगा तथा निविदादाता का अपने स्वामित्व का गाड़ी का होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथों के लिये निविदा प्राप्त होता है वैसी स्थिति मे निविदादाता के सभी निविदा रद्द कर दिया जायेगा अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

19 तकनीकी बिड के आवश्यक शर्तो के सन्दर्भ मे प्रमाण के रुप मे मॉगे गये दस्तावेजो या उसके अनुरुप मानक पुरा नही करने पर आवेदक/निविदादाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं उनके वित्तीय बिड नही खोला जायेगा। जिसके कारण निविदादाता का निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उनको अग्रध राशि 5000/– रु0 मात्र वापस कर दी जायेगी।

कार्यालय का पता–दरभंगा डेयरी, दरभंगा, चूनाभट्ठी, लक्ष्मीसागर, दरभंगा बिहार 846009

20 स्वीकृत निविदा का सूचना गाड़ी मालिक (निविदादाता को मिलने के उपरांत जमानत राशि जमा नही करने या आवंटित कार्य न्युनतम 15 दिनों तक सम्पादित नही करने की स्थिति मे अग्रधन राशि 5000/– मात्र संघ द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

21 सशर्त निविदा अमान्य किया जा सकता है।

22 डीजल दर रु0 92.34 प्रतिलिटर के अनुरुप दर निवेदित करेगें।

23 एकरारनामा प्रारुप के सभी पृष्ठो को सहमति स्वरुप हस्ताक्षर कर तकनिकी बिड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

24 दर परिवर्तन कुल मिलाकर डीजल मुल्य मे वृद्धि अथवा कमी दो रुपया या उससे अधिक होने की दशा मे अगस्त 2024 के माह मे डीजल का दर रु0 92.34 प्रतिलीटर को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष मे तीन बार क्रमशः 01 जनवरी, 01 मई एवं 01 सितम्बर से चार–चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। जो पथ मे तय की जा रही दूरी पर आधारित होगा। डीजल की खपत प्रति लीटर टाटा ACE के लिए 14 कि0मी0 पिकअप भान के लिए 10 कि0मी0 टाटा 407 के लिए 08 कि0मी0 टाटा 709/समतुल्य के लिए 06 कि0मी0 मानकर गणना की जायेगी। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।

25 परिहवन कर्त्ता से किसी भी प्रकार के बकाये की वसुली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी।

26 निविदित परिवहन गाड़ी का मॉडल (निर्माण) 08 (आठ) वर्ष पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिये। यह शर्त पूरे कार्य अवधि में लागू रहेगा एवं गाड़ी से संबंधित सभी कागजात जिला परिवहन कार्यालय मान्य मानों के अनुरूप होनी चाहिए।

27 पूर्व से नियुक्त परिवहनकर्ता जो निविदा भरने को इच्छुक है परन्तु उनके पूर्व 2 (दो) साल के कार्यावधि में अगर दूध चोरी का आरोप सिद्ध हुआ हो तो वे निविदा भरने के लिए अयोग्य माने जाएगें।

28 सभी चयनित निविदादाताओं को FSSAI Licence (परिवहन) स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के बाद जमा करना अनिवार्य है।

विवरणी

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनों मिलाकर (कि0मी0)	कैनों की संख्या	दर रु0 प्रति कि0मी0	अभियुक्ति
		कहाँ से	कहाँ तक					
1	11 A	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	164	50		
2	11C	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140	50		
3	11D	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	85	50		
4	14	कहुआ बी.एम.सी	चकला, सुहथ, भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	156	50		
5	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	150	50		
6	35	महवा बी.एम.सी	कोनीघाट वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	90	50		
7	37	झिलोरिया बी.एम.सी	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	200	50		
8	38	दरभंगा डेयरी	पुरुशोत्तमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	171	50		
9	43	कमतौल बी.एम.सी	भगवतीपुर वापस कमतौल बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	123	50		
10	32A	झिलोरिया बी.एम.सी	तिलके वर, वि ुनिया पूर्वी, हरिनाही वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	108	50		
11	16+24A	महवा बी.एम.सी	उसरी इनाई वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	80	50		

दुग्ध संग्रहण परिहवन ठेका कार्य हेतू अनुमोदित
टेक्निकल बीड प्रपत्र

(क्रमशः 01,02,05,07,08 एवं 10 तकनिकी रुप से योग्य होने हेतू पुरा करना आवश्यक होगा)

आवेदक अपना हाल का पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए।

निविदा सूचना संख्या ....

तिथि ....

01 पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी जा रही है।

पथ संख्या :-

पथ का नामः-

02 निविदादाता का पुरा नाम :-
(आधार कार्ड / वोटर पहचान पत्र संलग्न करे)

(क) स्थायी पता :-

ग्राम .... पत्रालय ....
पंचायत .... प्रखंड ....
जिला .... राज्य ....

(ख) वर्तमान पता :-

ग्राम .... पत्रालय ....
पंचायत .... प्रखंड ....
जिला .... राज्य ....

03 जन्म तिथि ....

04 शैक्षनिक योग्यता ....

05 ईमेल आई0डी0 मोबाईल नं0

06 दुग्ध संग्रहण परिविहन व्यवसाय का अनुभव वांछनीय – हॉ / नही
यदि हो तो कब से

07 गाड़ी का पूर्ण विवरण ....

(क) गाड़ी का प्रकार .... (ख) मॉडल ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

(ग) निबंधन संख्या :.................................... (ऑनर बुक का फोटो कॉपी संलग्न करे)

(घ) क्या गाड़ी मालिक आप है हॉं/नही

(ङ) गाड़ी का बीमा अद्यतन है :– हॉं/नही

(च) गाड़ी का मॉडल वर्ष 2017 के अप्रैल के बाद का मान्य होगा।

(छ) फिटनेश प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी संलग्न करें।

(ज) रोड टैक्स का फोटो कॉपी संलग्न करें।

(झ) चालक का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी संलग्न करे।

(त) गाड़ी मालिक निविदित पथ संख्या का निवासी नही होना चाहिए।

08 अपना पैन नम्बर लिखे
(फोटो कॉपी संलग्न करे)

09 बैंक खाता संख्या :–
बैंक का नाम :
(विगत छः माह का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का फोटो कॉपी संलग्न करे)
बैंक मे कम से कम एक लाख रुपया तीन महीने अथवा इससे अधिक टांजेक्सन होना चाहिए)

10 (क) निविदा के साथ जमा किय गये अग्रधन राशि रू0 5000/– की विवरणी

बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि :–
ड्राफ्ट की राशि :–
बैंक का नाम :–

(ख) निविदा प्रपत्र के मुल्य की राशि 1000/– मात्र की विवरणी
रसीद संख्या :– या बैंक ड्राफ्ट संख्या :

11 क्या आप उपर दर्शाये गये गाड़ियो को निविदा खुलने / अन्य निर्धारित तिथि को डेयरी परिसर मे निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकते है: हॉं/नही

निविदादाता का हस्ताक्षर

12 क्या आपने दुग्ध संग्रहण परिहवन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्तो एवं दिशा निर्देश को पढ कर एवं समझ कर निविदा भर है एवं आप उसके अनुरुप परिवहन कार्य करने के लिए सहमत है:-

हॉ/नही

13 क्या आपने मिथिला दुग्ध संघ को नियमित रुप से प्रतिदिन दूध परिवहन कार्य ठेका के शर्तो को मानते हुए गाडी उपलब्ध कराने हेतू सक्षम एवं तैयार है।

हॉ/नही

14 सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रुप मे संघ मे समायोजित कर रख ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि लौटा दी जायगी। सफल निविदादाताओं द्वारा कार्य करने मे असमर्थ होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

गाड़ी का प्रकार	जमानत की राशि (रु0)
पिकअप/टाटा 407/टाटा 709	25000/-
टाटा (ACE)	20000/-

'सत्यापन'

मै सत्यापिक करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर प्रस्तुत सभी सूचनायें सत्य है यदि मेरी निविदा स्वीकार की जाती है तो अनुमोदित दर पर एकरारनामा एवं इसमे अंकित शर्तो को मानते हुये नियमित रुप से दुग्ध संग्रहण परिवहन कार्य ठेका के आधार पर करने के लिए तैयार हूँ।

दिनांक

निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

अनुलग्नक :

1. चेक लिस्ट
2. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित एकरारनाम की प्रति
3. पहचान पत्र की छायाप्रति (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
4. कम से कम छः माह का बैंक स्टेटमेंट (छः माह से अधिक पीछे अवधि का न हो)
5. गाडी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेश/टैक्स जमा टोकन/इंश्योरेंश की कागजात
6. पैन कार्ड की छायाप्रति
7. निविदा प्रपत्र मूल्य रु0 1000/- मात्र का मनी रिसिट या बैंक ड्रफट (मूल प्रती) एवं अग्रधन राशि 5000/- का बैंक ड्राफट (मूल रुप मे)

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका कार्य हेतू अनुमोदित
वित्तीय वीड प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या .... तिथि ....

01 निविदादाता का पुरा नाम :–

(क) स्थायी पता :–

ग्राम .... पत्रालय ....

पंचायत .... प्रखंड ....

जिला .... राज्य ....

(ख) वर्तमान पता :–

ग्राम .... पत्रालय ....

पंचायत .... प्रखंड ....

जिला .... राज्य ....

02 ईमेल आई0डी0 . मोबाईल नं0

03 निविदित दर परिशिष्ट–01 मे दर्शाये गये पथ के सामने अंकित किया/भरा जायेगा, जो स्वीकृत्यादेश की तिथि से दो वर्ष के लिये लागू रहेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

अनुलग्नक : परिशिष्ट–01 मे दुग्ध परिहवन पथों की विवरणी दी गयी है जिसमे आपके द्वारा भरा जायेगा।

परिशिष्ट – 01

क्र0	पथ सं0	पथ विवरणी कहाँ से	कहाँ तक	वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनो मिला कर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि0मी0	अभि0
1	11 A	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	टाटा 407 / समतुल्य	164	50		
2	11C	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140	50		
3	11D	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	85	50		
4	14	कहुआ बी.एम.सी	चकला, सुहथ, भाया पिपडा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	156	50		
5	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	150	50		
6	35	महवा बी.एम.सी	कोनीघाट वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	90	50		
7	37	झिलोरिया बी.एम.सी	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	200	50		
8	38	दरभंगा डेयरी	पुरुशोत्तमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	171	50		
9	43	कमतौल बी.एम.सी	भगवतीपुर वापस कमतौल बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	123	50		
10	32A	झिलोरिया बी.एम.सी	तिलके वर, वि ुनिया पूर्वी, हरिनाही वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	108	50		
11	13+24A	महवा बी.एम.सी	उसरी इनाई वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	80	50		

प्रबंध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर को बिना कारण बताए प्राप्त निविदा को पूर्ण / आंशिक रुप से रदद् / स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

31/05/2025

चेक लिस्ट

	अनुलग्नक	चिन्हित करे
1	पहचान पत्र की प्रति (सरकार द्वारा मान्यता योग्य)	हाँ / नही
2	बैंक स्टेटमेन्ट/जमा विवरण की प्रति (छः माह से कम का ना हो)	हाँ / नही
3	गाड़ी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेस इंश्योरेन्स कागजात की प्रति	हाँ / नही
4	निविदा प्रपत्र हेतु रु0 1000/– का मनी रसीद या बैंक ड्राफ्ट (मूल रुप मे)	हाँ / नही
5	पैन कार्ड की प्रति	हाँ / नही
6	निर्धारित अग्रधन राशि रु0 5000/– का बैंक ड्राफ्ट (मूल रुप मे)	हाँ / नही

निविददाता का पूरा हस्ताक्षर

1000/– रु0 नन–जुडिशियल स्टाम्प, पईया/इक्सक्यूटिव पेपर पर

दुग्ध परिवहन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी जिसका कार्यालय औधौगिक क्षेत्र, पोस्ट – हरपुर एलौथ, समस्तीपुर में अवस्थित है, की तरफ से प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रुप में जिसे आगे **"दुग्ध संघ"** से संबोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष श्री .... (गाडी मालिक का नाम) पिता........................ ......ग्राम .... पें0 .... थाना .... जिला .... के स्थायी निवासी है तथा जिनका पत्राचार का पता .... दूरभाष/मोबाईल संख्या .... जिसे आगे **"संवेदक"** से संबोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है।
दुग्ध संघ द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियो से संग्रहित कच्चे दूध को .... (डेयरी/शीतक केन्द्र का नाम) जो दुग्ध संघ की इकाई है, तक परिवहन करने तथा समितियों को जॉच समान, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक को कार्यादेश संख्या .... दिनांक .... निर्गत किया गया है जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्ते एकरारनामा के शर्तो का हिस्सा समक्षा जायेगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत है।

दोनो पक्षों द्वारा एकरारनामा में उद्धृत क्रमांक 01 से 30 में अंकित सभी शर्तो को पूर्णरुप से पढकर, समक्षकर एवं बिना किसी दवाब के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया –

हस्ताक्षर (दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)	हस्ताक्षर (संवेदक)
उपस्थिति मे (पूर्ण पता सहित)	उपस्थिति मे (पूर्ण पता सहित)
01.	01.
02.	02.

दुग्ध परिवहन एकरारनामा की शर्ते

1. यह एकरारनामा दिनांक .... से .... अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिकतम तीन माह के लिए अवधि विस्तार का अधिकार **"दुग्ध संघ"** को होगा जिसे **"संवेदक"** मानने के लिए बाध्य होगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्ते पूर्ववत लागू रहेगी। पुनः आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार अधिकतम 1 वर्षो तक किया जायेगा जिसके लिए एकरारनामा करना होगा।

2. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतू दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्युनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा।

अत्यंत ही विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा चौबीस घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा।

3. एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा के दिये गये शर्तो के परिपालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि .... (......................................) रु0 दुग्ध संघ में जमा किया गया जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नही होगा।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियो के सचिव द्वारा निर्गत एवं संघ /शीतक केन्द्र के भंडार से **"बकाया नही प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करने के पश्चात सभी वसूलनीय राशि की कटौति के पश्चात (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा। संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए बकाया सम्बन्धी दावा प्रस्तुत करने का लिखित निर्देश निर्गत करेगा इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तो के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।

4. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली मे दूध सहित केन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौति संवेदक के विपत्र से की जायेगी।

5. दुग्ध संघ से प्राप्त केन, समिति को संबोधित पत्र, एसीड, अल्कोहल, पशु आहार, पशु स्वास्थ संबंधी सामग्री, हरा चारा बीज इत्यादि संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (केन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे – मॉग-पत्र, पत्र, एसीड, अल्कोहल का खाली जार इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट पर जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। परिवहन के दौरान सामान के टूट-फूट, खोने की कमी, गुणवत्ता में अंतर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौति संवेदक से की जायेगी।

6. संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली (सुबह/शाम) का ट्रक-शीट उसके अगले पाली में (सुबह पाली का ट्रक-शीट शाम पाली में तथा शाम पाली का ट्रक-शीट सुबह पाली में) संबंधित समितियो के प्रतिनिधि (सचिव, टेस्टर, भारवाहक) को हस्तगत कराना होगा। सामान्य परिस्थिति में संघ द्वारा प्रत्येक दिन सुबह पाली का ट्रक-शीट उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे तक तथा रात्रि पाली का ट्रक-शीट अगले तारीख के सुबह चार बजे उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त संवेदक संघ द्वारा प्रत्येक पाली मे निर्गत ट्रक-शीट के पीछे सभी समिति के प्रतिनिधि से उनके द्वारा आपूर्ति भरे केन की संख्या, दूध की मात्रा, आपूर्ति खाली जार की संख्या की प्रविष्टि करायेंगे या स्वंय करेंगे। चालक द्वारा हस्ताक्षरित भरे हुए ट्रक-शीट दूध तौल के पूर्व कार्यरत पाली प्रभारी को सौपेंगे। उपरोक्त शर्तो के अनुपालन नही होने के स्थिति में संघ द्वारा प्रति पाली 250/-(दो सौ पचास) रु0 की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ को सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

7. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, ट्रक–शीट, पशु आहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों से प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौपना होगा। सामग्रियो के लेन–देन से संबंधित पंजी का साधारण दोनो संवेदको को करनी होगी तथा सामान टूट–फूट, नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा।

8. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दूध एवं अन्य सामग्री परिवहन कर दुग्ध संघ तक नही ला पाने कि स्थिति में हुई क्षति की कटौति संवेदक से किया जायेगा। परिवहन गाड़ी खराब या अन्य किन्ही कारणो से दूध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की संपूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

9. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समिति का दूध एवं अन्य सामग्री छूट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन करने में असफल होता है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्या पथ एवं शटल पथ की समितियो के दूध के खट्टा /दही होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौति संवेदक के विपत्र से कटौती कर समिति को भुगतान की जायेगी।

10. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दूध कैन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय–तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौपने में असफल होने कि स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दूध केन एवं अन्य समाग्री पहुचाना होगा, परंतु उन्हे अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा का भुगतान नही होगा। समिति एवं संघ को इसके कारण क्षति की कटौति शटल पथ के संवेदक के विपत्र से की जायेगी। ऐसी स्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नही पहुचने का उल्लेख हो। दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान की अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेंजर या अन्य सामग्री ढोने का कार्य परिवहन में संलग्न गाडी द्वारा नही किया जायेगा। उक्त शर्तो के उल्लंघन करने पाये जाने पर प्रथम बार उस पाली अर्थात एक पाली का विपत्र संघ द्वारा कटौति कर लिया जायेगा। उक्त शर्तो के उल्लंघन की पुनरावृति होने की स्थिति में एकरारनामा रदद करने तथा पूर्ण जमानत की राशि जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

11. दुग्ध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारीयों (प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक, चारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबंधक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जॉच करने का अधिकार होगा। परिवहन मात्रा या गुणवत्ता की समस्या के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नही चढायेंगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नही करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रु0 500.00 (रुपये पॉच सौ) तक आर्थिक जुर्माना किया जायेगा।

12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार–कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी **अनुज्ञा–पत्रधारी** चालक के अतिरिक्त एक **कुशल खलासी** केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेगे। गाडी के साथ गाडी का ऑनर–बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजात को रखेंगे।

13. दूध पथ मे पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रुप से) या पुरे दूध को स्थायी अथवा अस्थायी रुप से दूध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रुप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा। समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रुप से बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नही होगा। दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

14. संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरारनामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जप्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कारवाई की जायेगी तथा कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों का घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई क्षति (दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता) की कटौती निम्नदर से की जायेगी :–

दूध – 50.00 रु0 प्रति लीटर

अथवा वर्तमान दुग्ध क्रय मुल्य तालिका के अनुरुप या जो अधिक हो

संघ द्वारा जॉच के उपरांत अन्य परिस्थितियों मे भी मात्रा तथा गुणवत्ता से संबंधित कटौती उपरोक्त दर से की जायेगी।

15. क्रमांक–14 में अंकित कटौति के अतिरिक्त समिति से प्राप्त सामान अथवा संघ द्वारा आपूर्ति किये गए सामान के खोने, चोरी करते हुए पकडे जाने तथा समिति को आपूर्ति नही करने की स्थिति मे दुग्ध संघ द्वारा निम्नलिखित दर से परिवहन संवेदक से राशि की वसूली की जायेगी –

कैन ढक्कन सहित (अल्यु0)	–	6500.00 रु0 प्रति अदद
कैन ढक्कन सहित (स्टील)	–	5000.00 रु0 प्रति अदद
कैन लीड (अल्यु0)	–	1000.00 रु0 प्रति अदद
कैन लीड (स्टील)	–	800.00 रु0 प्रति अदद
जार 10 लीटर (प्लास्टिक)	–	500.00 रु0 प्रति अदद
जार 02 लीटर (प्लास्टिक)	–	200.00 रु0 प्रति अदद
सुपर सुधा पशु आहार	–	28.00 रु0 प्रति किलो

इसके अतिरिक्त जिन सामग्री का दर अंकित नही किया गया है उन समितियों की कटौति संघ द्वारा समिति को आपूर्ति दर से 20 प्रतिशत अधिक दर से की जायेगी। संघ का साख खराब होने की स्थिति में रु0 5000/– जुर्माना भी किया जायेगा।

16. संवेदक की जिम्मवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार–कुशल चालक तथा खलासी रखें। समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने वाले चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी। संघ द्वारा पूर्व में हटाये गये चालक /खलासी भले ही वे पूर्व में किसी अन्य संवेदक के साथ संलग्न हो उन चालक तथा खलासी को किसी भी संवेदक द्वारा नही रखा जायेगा। कार्यालय के सामान्य प्रशासन के तहत चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर मे आने के लिए संवेदक सुनिश्चित करेगे। संवेदक यह सुनिश्चित करेगे कि चालक तथा खलासी लुंगी पहनकर परिसर में न आये। परिवहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनामे में शामिल अथवा सम्बद्ध होते है जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा तत्काल रदद् कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।

18. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/चालान प्रतिदिन प्राप्त करने एवं डेयरी डॉक पर देने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौति की जायेगी।

19. दुग्ध परिवहन की गाडी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रुकेगी जहॉं सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जायेगी। संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त पत्र समान प्राप्ति रसीद सभी सुरक्षा प्रहरी को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्टि कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरुप करेंगे। उसी प्रकार वापसी में निर्गत समान, पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। डेयरी परिसर में अधिकतम 10 किलोमीटर/घंटा की गति से गाडी चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधित द्वारा व्यवस्थति रुप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रुप से गाडी को पार्क करेंगे जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो। वापसी में ट्रक–शीट प्राप्ति के पूर्व भंडार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भंडार समिति के मॉग के अनुसार सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि की होगी। उक्त शर्तो के पालन नही करने पर अधिकतम प्रति केस 1000.00 (एक हजार) रु0 का जुमार्ना किया जायेगा।

20. समिति के मॉग के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा आपूर्ति तरल दूध (पौच/लूज) संबंधित समिति तक परिवहन करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इस मद में परिवहन संवेदक को मासिक आधार पर 0.75 (पचहत्तर) पैसा प्रति लीटर का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर संघ द्वारा किया जायेगा।

21. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर दूध परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिन के अन्दर संसूचित करना होगा। उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नही करने की स्थिति में आदेश रदद् किया जा सकता है।

22. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है जिसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के लिए स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा।

23. एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी में खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परंतु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नही हो। दुग्ध संघ समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल-मेल रहे इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक द्वारा स्थायी चालक तथा खलासी को रखें। परिवहन कार्य तथा दुग्ध संघ से सामान प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा संघ द्वारा निर्धारित प्रारुप में फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी प्रत्येक दिन दोनो पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखे तथा गेट, प्लांन्ट या भंडार में मॉगे जाने पर प्रस्तुत करे। विना पहचान पत्र धारण किये "चालक तथा खलासी" को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके कारण हुई क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

24. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध का डेयरी परिसर में पहुँचाने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी के सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी को परिसर के अंदर सोने नही दिया जायेगा। संवेदक यदि चाहे तो रात्रि पाली में दूध सुपूर्द करने के पश्चात गाड़ी परिसर से बाहर ले जा सकते है, परन्तु साफ केन, समान, ट्रक-शीट इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही की जायेगी जिसे संवेदक को प्राप्ति के लिए गाड़ी को पुनः परिसर मे लाना होगा। चालक/खलासी को रात्रि पाली मे परिसर में सोते पाये जाने की स्थिति में एक मुश्त 1000.00 (एक हजार) रु0 का जुर्माना किया जायेगा।

25. रात्रि पाली में दूध परिवहन गाड़ी डेयरी परिसर में नही रखा जायेगा। डेयरी परिसर में पाये जाने पर प्रति रात्रि के लिए रु0 500.00 जुर्माना लगाया जायेगा।

26. एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते है तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथ उस अवधि में विभिन्न कारणो से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौति परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नही होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि कटौति की जायेगी।

27. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों मे विपत्र प्रस्तुत करना होगा –

अवधि		विपत्र जमा करने की तिथि
01 से 15 तारिख	–	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	–	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि को उस पथ के पथ प्रभारी को विपत्र के सत्यापण हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतीकरण के बारह दिनों के अंदर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौति (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगातन किया जायेगा। संघ द्वारा मात्र नीचे अंकित बैंक शाखा का चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

समस्तीपुर	–	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – मुख्य शाखा। बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – हरपुर एलौथ। डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को– ऑपरेटिव बैंक, शाखा – ताजपुर।
रोसड़ा	–	बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – रोसड़ा।
दरभंगा/मधुबनी	–	इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा – दरभंगा।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

परिवहन संवेदन को किसी तरह का अग्रिम देय नही होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरुद्ध 15 प्रतिशत ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है परंन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नही होगा।

28. दर परिवर्तन : कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रुपया या उससे अधिक होने की दशा में अगस्त 2024 के माह में डीजल का दर 92.34 को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्श मे तीन बार क्रमशः 01 जनवरी, 01 मई एवं 01 सितम्बर से चार–चार माह के अन्तराल परिवर्तनीय होगा। वर्श मे डीजल दर 30 अप्रैल, 31 अगस्त एवं 31 दिसम्बर को आधार माना जायेगा। परिवर्तन के फलस्वरुप दर संशोधन हेतु डीजल खपत प्रति लीटर जीप, पीकअप भान के लिए 10 कि0मी0, टाटा – 407 के लिए 08 कि0मी0 टाटा 709 के लिए 06 कि0मी0 मानकर गणना की जायेगी। तथापि दर संशोधन तबतक नही होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन प्रति दो रुपया या उससे कम/अधिक नही होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।
29. जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की मॉग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधो प्राप्त की जायेगी।
30. उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानों, व्याख्याओं, अधिकारें, उत्तरदायित्यों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में **प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड)**, पटना के प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कारवाई का क्षेत्र "समस्तीपुर कोर्ट" होगा।

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर
(संवेदक)

बन्ध – पत्र

हमलोग

01. श्री .... पिता श्री ....
उम्र .... पूरा पता ....
....................................व्यवसाय ....

02. श्री .... पिता श्री ....
उम्र .... पूरा पता ....
....................................व्यवसाय .... अपने आपको श्री ....
.... श्री पूरा पता ....
.... जिन्हे अब आगे **परिवहन संवेदक** कहा जायेगा, का जमानतदार घोषित करते है तथा यह जमानत देते है कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक .... को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जिसे अब **"दुग्ध संघ"** कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरुप शर्तो का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेंगे। हम यह भी जमानत देते है कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार का गबन अथवा एकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हम दोनों दस–दस हजार रुपया की राशि तक की क्षतिपूर्ति स्वरुप संघ को भुगतान करेंगे। हम यह भी सहमति देते है कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य श्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है। हमसे की गई उक्त राशि की वसूली इस बात से प्रभावित नही होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया है अथवा नही। हम यह भी सहमति देते है कि परिवहन संवेदक से एकरारनामा की शर्तो में संशोधन/परिवर्तन होने पर हम दोनो जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नही होते है। हम लोगो ने दुग्ध संघ और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढकर समक्ष लिया है। हम दोनो का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्त रुप से होगा।

जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षर

01. नाम :.. हस्ताक्षर :..................................

02. नाम :.. हस्ताक्षर :..................................

गवाह

01. नाम :.. हस्ताक्षर :..................................

02. नाम :.. हस्ताक्षर :..................................

नोट : प्रत्येक जमानतदार तथा गवाह का फोटोयुक्त निर्वाचन पहचान पत्र या पैन कार्ड की छाया प्रति चिपकायें।